

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/ओरि./अजमेर/10/ 822

दिनांक: 05 फरवरी, 2019

निदेशक,

मानव संसाधन विकास केन्द्र,

एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर।

विषय: दिनांक 07.02.2019 से 06.03.2019 तक ओरियन्टेशन कार्यक्रम बाबत।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक एफ. ()एचआरडीसी/एमडीएसयू/2019/3155 दिनांक 01.02.2019

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 07.02.2019 से 06.03.2019 तक ओरियन्टेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निम्नलिखित सहायक आचार्यों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/डॉ.)	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	अविनाश व्यास	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, जायल
2	विवेक शर्मा	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़
3	संजय गोदारा	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा
4	अंजू यादव	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह
5	कृष्ण कुमार मीणा	भौतिक शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
6	ज्योति	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
7	विनीता मिर्धा	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना
8	ज्योति सैनी	भौतिक शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
9	सुरेश बामनिया	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर
10	धनराज मीणा	भौतिक शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
11	राजुराम घासी	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा
12	विमला	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा
13	प्रतिभा अलुदिया	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी
14	विजय कुमार मीणा	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, देवली
15	जितेन्द्र कुमार रैकवार	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (M.S.J.)
16	रोहित विश्णोई	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़
17	मोहन लाल	वनस्पति शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, तारानगर
18	सुंदर पाल बरोड	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
19	संदीप कुमार आर्य	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, बेंगू
20	बहादुर सिंह मीणा	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़
21	गुरमेल सिंह	प्राणी शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़
22	दीपक कुमार	प्राणी शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर
23	मुकेश कुमार कुम्हार	प्राणी शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, तारानगर
24	अवधेश शर्मा अनिल	प्राणी शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर
25	अजय कुमार	प्राणी शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
26	सम्पत राम मीणा	प्राणी शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
27	जयकिशन	रसायन शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
28	नरेश कुमार शर्मा	रसायन शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
29	पूनम सैनी	रसायन शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़
30	कुम्भा राम महला	रसायन शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, नागौर
31	जगदीश राम	रसायन शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़
32	लोकेश कुमार सोनी	रसायन शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
33	राकेश कुमार मीणा	रसायन शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़
34	महेश कुमार	राजनीति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, रायपुर (भीलवाड़ा)
35	आशीष शर्मा	राजनीति शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा
36	दिलीप सिंह	राजनीति शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़
37	विनोद कुमार	राजनीति शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर
38	रूपा चौधरी	राजनीति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, धारियावाड
39	धमेन्द्र कुमार मीणा	राजनीति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़
40	त्रिभुवन सिंह झाला	समाजशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़
41	जितेन्द्र सिंह राव	समाजशास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर
42	अर्जुन लाल जाट	समाजशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर
43	दिनेश कुमार शर्मा	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
44	सिद्धार्थ कुमार देसाई	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़
45	सुभाष चन्द खटीक	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़
46	कृतिका शर्मा	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह
47	भगवान सहाय शर्मा	संस्कृत	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा
48	हेमराज सैनी	संस्कृत	राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया
49	श्यामलाल उदेनिया	संस्कृत	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर

50	प्रणव कुमार व्यास	संस्कृत	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
51	नारायण लाल माली	इतिहास	राजकीय महाविद्यालय, रायपुर (भीलवाड़ा)
52	राजेश कुमार मीणा	इतिहास	राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया
53	सीमा मीणा	इतिहास	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
54	आशुतोष कौशिक	विधि	राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा
55	राजेश कुमार शर्मा	विधि	राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
56	नेमीचंद	विधि	राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली
57	नसीफा बानो	विधि	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर
58	इन्द्र चन्द कुमावत	विधि	राजकीय विधि महाविद्यालय, बूंदी
59	सुरेश सैनी	हिन्दी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा
60	बलराम	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, भीम
61	कमलेश कुमार जोशी	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर

उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले सहायक आचार्यों की सूची आयुक्तालय को भिजवायें जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले सहायक आचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।


उक्त कोर्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आपके द्वारा देय होगा। शेष अन्य व्यय प्रतिभागियों को स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा।


 (डॉ० आरुण कुमार)
 संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
 दिनांक: 05 फरवरी, 2019

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/ओरि./अजमेर/10/ 822

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-
 - (अ) दिनांक 31.12.2008 से कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम(सी.ए.एस.) के तहत सभी व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान के लिए एक ओरियेंटेशन व एक रिफ्रेशर कोर्स, चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर कोर्स एवं पे-बैंड IV के लिये चयनित वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर/शार्ट टर्म कोर्स करना अनिवार्य है।
 - (ब) महाविद्यालयों के जिन मनोनीत व्याख्याता को सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो केवल उन्हें ही कार्यमुक्त करें।
 - (स) मनोनीत व्याख्याताओं (सी.ए.एस.के तहत पात्र)को उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 07.02.2019 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, मानव संसाधन विकास केन्द्र एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
 - (द) प्राचार्य मनोनीत प्राध्यापकों को समय सारिणी का समायोजन कर कार्य मुक्त करें।
 - (य) दिनांक 01.01.2008 की गाइड लाइन की पालना करते हुये सर्विस बुक से परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की नामांकित व्याख्याता को अगली पदोन्नती के लिए कोर्स की आवश्यकता है या नहीं, उपरोक्त शर्त की पालना की व्यक्तिगत जवाब देही स्वयं प्राचार्य की होगी।
2. संबंधित व्याख्याता ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो व्याख्याता तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये व्याख्याता द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित व्याख्याता के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उन्हें एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ कोटा/ उदयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/ बीकानेर।
5. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।


 (डॉ० आरुण कुमार)
 संयुक्त निदेशक (अकादमिक)